भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2593

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि भूमि के क्षेत्रफल में गिरावट

2593. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विशेषकर पंजाब सहित देश के कई राज्यों में कृषि के लिए आरक्षित भूमि के क्षेत्रफल में हो रही निरंतर गिरावट को स्वीकार करती है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त कमी में योगदान देने के लिए पहुंचाने गए कारकों यथा- शहरीकरण, भूमि विखंडन और भूमि समेकन संबंधी प्रभावशाली नीतियों के अभाव, का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए और अधिक उपयोग में लाने से रोकने के लिए उठाए गए विशिष्ट कदमों का ब्यौरा क्या है और उपरोक्त उपाय उक्त प्रवृत्ति को उलटने में किस प्रकार प्रभावी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा तीव्र शहरीकरण के नाम पर ग्रामीण कृषि भूमि का दुरुपयोग किए जाने पर रोक लगाने की मंशा से अपनाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): 'भूमि उपयोग सांख्यिकी-एक नज़र में 2023-24' पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कृषि योग्य/कृषि भूमि में मामूली गिरावट के बावजूद, शुद्ध बोया गया क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। इसके अलावा, सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 के 201.3 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। विभिन्न सरकारी पहलों के कार्यान्वयन और तकनीकी प्रगति ने फसल सघनता में निरंतर वृद्धि में योगदान दिया है। फसल सघनता वर्ष 2013-14 के 142.5% से बढ़कर 2023-24 में 156.8% हो गई, जो बहुफसलीय पद्धतियों की ओर सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है और किसानों की एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2013-14 के 246.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 353.96 मिलियन टन हो गया है (तीसरा अग्रिम अनुमान)। बागवानी उत्पादन भी वर्ष 2013-14 के 280.70 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 367.72 मिलियन टन हो गया है (दूसरा अग्रिम अनुमान)।

(ग) एवं (घ): भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने और गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग को रोकने के लिए उचित उपाय करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित कर रहा है, जो मुख्य रूप से वर्षा सिंचित/क्षरित भूमि के विकास पर केंद्रित है। इस योजना में की जाने वाली गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिज क्षेत्र सुधार, जल निकासी लाइन सुधार, सॉयल एवं नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नर्सरी स्थापना, चारागाह विकास, संपतिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई के तहत किए गए उपाय खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों में सहयोग करते हैं। इस योजना को सरकार द्वारा 15 दिसंबर, 2021 को मंजूरी दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए कई तकनीकी उपाय किए हैं। इनमें वर्षा जल के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए स्थान-विशिष्ट जैव-अभियांत्रिकी, वायु अपरदन को रोकने के लिए रेत के टीलों का स्थिरीकरण और शेल्टर बेल्ट टेक्नोलॉजी और देश में समस्याग्रस्त मृदा रोगों के लिए सुधार तकनीक शामिल हैं। आईसीएआर ने जिप्सम प्रौद्योगिकी पैकेज भी विकसित किया है, जिसमें भूमि समतलीकरण, मेड़बंदी, फ्लशिंग, अतिरिक्त जल निष्कासन, उच्च गुणवत्ता वाला सिंचाई जल, सुधारात्मक उर्वरकों का प्रयोग, फसलों का चयन और कुशल पोषक तत्व प्रबंधन शामिल हैं। आईसीएआर ने सॉयल की खराब गुणवत्ता को सुधारने और उसे फसल की खेती के अंतर्गत लाने के लिए कई कृषि संबंधी उपायों की भी सिफारिश की है, जिसमें पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों (जैसे खाद, जैव उर्वरक आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन और सॉयल हेल्थ एंड फर्टीलिटी में गिरावट को रोकने के लिए स्थान विशेष मृदा जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 पारित किया है, जो दिनांक 01.01.2014 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 10 बहु-फसल सिंचित भूमि के अधिग्रहण पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाती है, सिवाय असाधारण मामलों में जहाँ कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न हो। ऐसे मामलों में, कृषि के लिए समान अनुपयोगी भूमि विकसित की जानी चाहिए। कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने संबंधी आंकड़े राज्य स्तर पर रखे जाते हैं, क्योंकि संविधान के तहत भूमि राज्य का विषय है। तथापि, आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, अत्यंत आवश्यक न होने पर ऐसे रूपांतरणों को दृढ़ता से हतोत्साहित करता है। जहाँ भी कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, वहाँ किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए आर्थिक मुआवज़ा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ, और कुछ मामलों में, भूमि के बदले भूमि सहित प्रतिपूरक व्यवस्थाएँ की जाती हैं।

****